राजस्व अपील संख्या : 91/2024
उनवान : ओमाराम बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 91/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/532

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
ओमाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति मेघवाल निवासी पचाल खुर्द जिला जोधपुर राज.	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली राज. 2. अरविन्द पुत्र मुलतानमल जाति रेगर निवासी आदर्श नगर बनाड़ रोड़ मान्दडी जोधपुर राज. 3. अशोक नवल पुत्र मुलतानमल 4. मुलतानमल पुत्र शंकरलाल जातिगण रेगर निवासीगण भीलवाडा हाल आदर्श नगर बनाड़ रोड मान्दडी जोधपुर 5. पवन कुमारी पुत्री भीकाराम पत्नी अशोक नवल जाति रेगर निवासीगण आदर्श नगर बनाड रोड मान्दडी जोधपुर राज. 6. हकाराम पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी शमशान घाट के पास मेघवाल बस्ती जालोर जिला जालोर राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आपसी सहमति के आधार बंटवाडा गांव बिरोलिया पटवार हल्का बेड़ल के नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 को तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।

–:निर्णय:–

दिनांकः 30.05.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर आपसी सहमति के आधार बंटवाडा गांव बिरोलिया पटवार

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 91/2024

उनवान : ओमाराम बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

हल्का बेड़ल के नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 को तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

1. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मौजा विरोलिया, पटवार हल्का, बेडल, तहसील बाली में राजस्व भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 25.65 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है। जिस आराजी में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 का अविभक्त हिस्सा आता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

2. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 द्वारा आपसी सहमति से अपने बंट काश्तशुदा खसरा नम्बर 287 रकबा 25.6500 हैक्टेयर की सयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाडा करना तय करते हुए अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 एवं रास्ते की भूमि निम्नानुसार अपने बंट हक काश्तनुसार एवं सामलाती रखी गयी खसरा नम्बर 287 रकबा 25.6500 हैक्टेयर का निम्नानुसार बंट किया गया जो निम्नानुसार है:–

क्र.स.	बंट के खसरा नम्बर नजरी नक्शा में	बंट के खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में	राजस्व रिकॉर्ड में नाम
1.	287	441/287 3.368 हैक्टेयर	अशोकनवल पुत्र मुलतानमल रेस्पो. संख्या 03
2.	287/1	445/287 3.3684 हैक्टेयर	मुलतानमल पुत्र शंकरलाल रेस्पो. संख्या 04
3.	287/2	440/287 3.3684 हैक्टेयर	अरविन्द पुत्र मुलतानमल रेस्पो. संख्या 02
4.	287/3	443/287 6.7369 हैक्टेयर	पवन कुमारी पुत्री भीकाराम रेस्पो. संख्या 05
5.	287/4	442/287 4.2593 हैक्टेयर	ओमाराम पुत्र भीकाराम
6.	287/5	445/285 3.8969 हैक्टेयर	हकाराम पुत्र मोहनलाल रेस्पो. संख्या 06
7	287/6	446/287 0.6500 हैक्टेयर	अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 के सामलाती रास्ता हेतु

3. यह है कि, अपील के पद संख्या 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 के हिस्सा बंट कब्जा अनुसार नजरीनक्शा में अलग–अलग रंग से अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के हिस्से में रखी गई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नक्शें में

अतिरिक्त जिला कलक्टर

राजस्व अपील संख्या : 91/2024
उनवान : ओमाराम बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 के बंट की भूमि को गलती से कम ज्यादा कर गलत रुपेण आपसी सहमति से बंटवाडा नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 को खोला गया है उसमें अपीलाण्ट का रकबा तो वही रखा गया है लेकिन राजस्व नक्शें में रेस्पोडेण्ट संख्या 06 का बंट हिस्सा अपीलाण्ट के बंट में दर्शाया गया है जिससे तमाम कार्यवाहीयां राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों व तहसीलदार बाली द्वारा मुकदमाबाजी बढ़ाने वे पेचिदगीया डालने के लिये गलत रुपेण जरिये विडीयोकॉल द्वारा आपसी सहमति का बंटवाडा कर बंटवाडा नियमों की अवहेलना कर राजस्व नक्शे में गलत रुपेण तरमीम करने से राजस्व अभिलेख में हुई गलती को सुधारने बाबत सहमति से बंटवाडे के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 के कारण हुई है। जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को सही करने बाबत कई बार कहां गया लेकिन उसके द्वारा टालमटोल किया जा रहा है।

4. यह है कि अपीलाण्ट ने तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति से बंटवाडा नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 के उपरांत आपसी सहमति से बंटवाडा में वर्णित नजरी नक्शां में वर्णित अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 287/4 व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज खसरा नम्बर 442/287 का मौकेनुसार भौतिक सत्यापन कर राजस्व नक्शा में तरमीम किये का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाली को पेश किया लेकिन तहसीलदार बाली द्वारा आज दिन तक मौके बंट हिस्सा अनुसार नक्शें में सही तरमीम नहीं किये जाने से उक्त अपील देरीना श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि मौजा बिरोलिया पटवार हल्का बेड़ल के आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि में वर्णित कृषि भूमि के आपसी सहमति बंटवाडा म्यूटेशन नम्बर 367 दिनांक 06.06.2022 तहसीलदार बाली रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा स्वीकृत को निरस्त फरमाया जावें एवं आपसी सहमति बंटवाडा के पूर्व खसरा नम्बर 287 रकबा 25.6500 हैक्टेयर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगाय 06 के हिस्सा अनुसार संयुक्त खातेदार एवं सयुक्त रुपेण राजस्व नक्शा में इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक का सम्मन स्वयं से एवं रेस्पोडेण्ट संख्या छह का सम्मन पत्नी द्वारा तामील होने के उपरांत भी दोनो पक्षकारान् उपस्थित नहीं आए। रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगायत पांच द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर पूर्व में किए गए आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे एवं नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे तथा मौके व कब्जे के आधार पर भौतिक सत्यापन कर नए सिरे से बंटवारा व तरमीम किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा प्रकरण के संबंध में बहस सुनने का निश्चय किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 91 / 2024

उनवान : ओमाराम बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दौराने बहस काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने ज़ाहिर किया कि मौज़ा बिरोलिया के पूर्व खसरा संख्या 287 रकबा 25.65 हैक्टेयर के संबंध में सहखातेदारों द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष प्रस्तुत सहमति बंटवारे के आधार पर उक्त कृषि आराजी विभक्त कर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 स्वीकृत किया गया। किन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम स्वीकृत बंटवारे अनुरुप नहीं की जाकर त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई। अतः नामान्तरकरण संख्या 367 निरस्त कर बंटवारे से पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।

बहस के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। रेस्पोडेण्ट पक्ष की ओर से प्रतिकार नहीं होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में अंकित सशपथ कथनों को स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील मियाद शुमार घोषित की जाती है।

विचाराधीन अपील के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया।

सम्पूर्ण विश्लेषण उपरान्त प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण होने के कारण उल्लेखनीय हैः–

1. अपीलाण्ट द्वारा बंटवारे उपरान्त भरे गए नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 को इस आधार पर निरस्त करने की मांग की गई कि राजस्व नक्शे में तरमीम माफिक बंटवारा नक्शा नहीं हुई एवं पूर्व स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया।

   बंटवारा प्रस्ताव एवं वर्तमान राजस्व नक्शें (जो कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों के साथ प्रस्तुत किया गया है) के तुलनात्मक अवलोकन से ज़ाहिर होता है कि कि नजरी नक्शें में नारंगी रंग से दर्शित अपीलाण्ट के हिस्से एवं नीले रंग से दर्शित रेस्पो. संख्या 6 के हिस्से की सीमा पर दक्षिणी खसरे का त्रिकोण है। किन्तु वर्तमान राजस्व नक्शें में उक्त दक्षिणी खसरे का त्रिकोण कर्व अपीलाण्ट के हिस्से आये खसरा संख्या 442 / 287 की दक्षिणी भुजा के मध्य स्थित है। उससे अपीलाण्ट का यह तर्क सिद्ध होता है कि माफ़िक सहमति बंटवारा राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की जाकर त्रुटिपूर्ण ढंग से तरमीम की गई है।

   "किन्तु, मूल प्रश्न यह है कि राजस्व नक्शें में की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम के आधार पर सहमति से किये गए विभाजन और उसके नामान्तरकरण को निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल करने मांग वैधानिक है अथवा नहीं?"

2. उपरोक्त प्रश्न के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल बंटवारा करार का अवलोकन किया गया। पूर्व खसरा संख्या 287 के मूल छह खातेदारों में से ओमाराम (अपीलाण्ट), हकाराम (रेस्पो. संख्या 06) तथा मुल्तानमल (रेस्पो. संख्या 04) द्वारा बंटवारा करार प्रस्तुत किया गया। शेष तीन सहखातेदारों द्वारा मुल्तानमल के पक्ष में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 91 / 2024

उनवान : ओमाराम बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

लिखित आम मुख्त्यारनामा भी पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त तीन सहखातेदारों द्वारा हस्तगत अपील में प्रस्तुत इकबालिया जवाब में सहमति से बंटवारा होना स्वीकार भी किया है।

सभी सहखातेदारों द्वारा सहमति से प्रस्तुत उक्त बंटवारा प्रस्ताव में जिस प्रकार अलग अलग रंग भरकर अपनी हिस्साकशी दर्शायी गयी थी, उसी रकबा अनुरुप ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 06.06.2022 को तहसीलदार बाली द्वारा अमलदरामद स्वीकृत किया गया।

उभयपक्षकारों द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत सहमति आधारित बंटवारा प्रस्ताव उस दिन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाली द्वारा ज़रिए आदेश क्रमांक / L.R. / 2022 / 61 दिनांक 20.04.2022 पटवारी हल्का को माफिक विभाजन पत्र अमलदरामद एवं नक्शे में तरमीम के निर्देश दिए गए।

अर्थात् अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 06 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के समक्ष प्रस्तुत सहमति आधारित विभाजन प्रस्ताव पूर्णतः विधि अनुकूल था। अपीलाण्ट भी ऐसा कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है, जो उक्त विभाजन प्रस्ताव की वैधता को अप्रमाणित सिद्ध कर सके। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजनपत्र के अनुरुप ही नामान्तरकरण संख्या 367 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद होना भी सिद्ध पाया जाता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

सक्षेप में, यह तो प्रमाणित है कि उभयपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सहमति आधारित विभाजन पत्र में ऐसी कोई वैधानिक त्रुटि नहीं पायी गई, जो उक्त विभाजन पत्र को शून्यकरणीय करार देने हेतु प्रर्याप्त हो तथा यह भी सिद्ध पाया गया कि माफिक विभाजन पत्र ही सहखातेदारों के हिस्से पृथक–पृथक कर ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण अमलदरामद किया गया। साथ ही, यह भी प्रमाणित हो चुका है कि मात्र राजस्व नक्शें में की गई तरमीम उक्त विभाजन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें के अनुरुप नहीं होकर त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2)(i) के अन्तर्गत प्रस्तुत सहमति / करार आधारित विभाजन प्रस्ताव को किसी भी न्यायालय मे तब तक चुनौति नहीं दी जा सकती, जब तक कि उक्त करार ' विधि के प्रतिकूल' अर्थात अवैध प्रमाणित न हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत विभाजन पत्र की वैधता प्रमाणित पायी गई है, अतः अपीलाण्ट की यह इस्तदुआ पूर्णतः स्वीकार नहीं की जा सकती है कि सम्पूर्ण विभाजन प्रस्ताव एवं उसके अनुक्रम में दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 367 को खारिज कर विभाजन से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए प्रश्नगत आराजी को पुनः शामलाती दर्ज किया जाए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 91/2024

उनवान : ओमाराम बनाम तहसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व नक्शे में हुई तरमीम सम्बन्धि त्रुटि हेतु सम्पूर्ण नामान्तरकरण को खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 367 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधि. 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही, प्रकरण में राजस्व नक्शें में हुई त्रुटिपूर्ण तरमीम के संबंध में तहसीलदार बाली को प्रकरण पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव के सलंग्न प्रमाणित नज़री नक्शें अनुरुप तरमीम दुरस्ती करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **30.05.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner